न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–157/2024

प्रार्थी:–

शंकरराम उर्फ शंकरलाल पुत्र गेनाराम जाति माली निवासी महेशनगर तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी:–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री हीराचन्द सुथार अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 18.11.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 386/15, 376/85, 388/15,389/15 रकबा क्रमशः 1.4083, 0.0405, 0.0162 व 0.1214 हैक्टयर भूमि ग्राम महेशनगर तहसील समदडी में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,मतदाता परिचय पत्र,राशनकार्ड,बैंक डायरी व खसरा संख्या 390/97 की जमाबंदी आदि में उसका वास्तविक नाम "शंकरराम पुत्र गेनाराम" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम " शंकरलाल पुत्र गेनाराम "लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/1608 दिनांक 24.10.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड,जनआधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र ,परिवार राशनकार्ड,बैंक डायरी की छायाप्रति व ग्राम महेश नगर के खसरा संख्या 390/97 की जमाबंदी पेश की ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "शंकरराम पुत्र गेनाराम" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम महेशनगर तहसील समदडी के खसरा संख्या 386/15, 376/85, 388/15,389/15 रकबा क्रमशः 1.4083, 0.0405, 0.0162 व 0.1214 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम "शंकरलाल पुत्र गेनाराम"

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड,जनआधार कार्ड,मतदाता परिचय पत्र ,परिवार राशनकार्ड,बैंक डायरी, व ग्राम महेश नगर की जमाबंदी संवत् 2077–2080 खसरा संख्या 390/97 आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "शंकरराम पुत्र गेनाराम " की तस्दीक होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "शंकरलाल पुत्र गेनाराम " दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी।ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महेश नगर तहसील समदडी के खसरा संख्या 386/15, 376/85, 388/15,389/15 रकबा क्रमशः 1.4083, 0.0405, 0.0162 व 0.1214 हैक्टयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "शंकरलाल पुत्र गेनाराम के स्थान पर "शंकरराम पुत्र गेनाराम" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.01 14:28:46 IST
Reason: SelfAttested